संख्या-206/2019/4092/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 सितम्बर 2019

विषयः- मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण श्री अंकित पुत्र श्री धर्मपाल की छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2323/स0क0/शिक्षा-अ/2/अनु0जाति0आ0/2019-20, दिनांक-19.09.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त निवासी ग्राम-थपखेड़ा, पो0-पाली, जनपद-गौतमबुद्धनगर की वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति की देय धनराशि रू0-84,500/-(रूपये-चौरासी हजार पांच सौ मात्र) के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय
सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-206/2019/4092/(1)/26-3-2019तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in